

## भारत निर्वाचन आयोग: संवैधानिक आधार, संस्थागत विकास, प्रशासनिक पदानुक्रम और चुनावी सुधारों का सांगोपांग विश्लेषणात्मक अध्ययन

### 1. संवैधानिक पृष्ठभूमि, स्थापना और संस्थागत संरचना का विकास

भारतीय लोकतंत्र में स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव प्रणाली को लोकतांत्रिक ढांचे का आधार स्तंभ माना गया है। भारतीय संविधान के भाग 15 में अनुच्छेद 324 से 329 तक निर्वाचन प्रणाली और निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। संविधान निर्माताओं ने देश में बहुदलीय लोकतांत्रिक शासन प्रणाली को सुचारू रूप से चलाने के लिए निर्वाचन प्रबंधन की जिम्मेदारी किसी कार्यपालकीय विभाग को सौंपने के बजाय एक स्वतंत्र संवैधानिक प्राधिकरण के रूप में भारत निर्वाचन आयोग (*Election Commission of India - ECI*) को सौंपी। 25 जनवरी 1950 को स्थापित इस आयोग को संविधान के अनुच्छेद 324(1) के तहत संसद, राज्य विधानमंडलों, तथा राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति पदों के लिए आयोजित होने वाले सभी निर्वाचनों के अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण का व्यापक एकाधिकार प्रदान किया गया है।

#### 1.1 संवैधानिक प्रावधान एवं अनुच्छेद 324 से 329 का वैधानिक विश्लेषण

संविधान का अनुच्छेद 324 आयोग को केवल प्रशासनिक अधिकार ही प्रदान नहीं करता, बल्कि इसमें निहित अधीक्षण और निर्देशन की शक्तियां अवशिष्ट और व्यापक (*Plenary in character*) स्वरूप धारण करती हैं। सर्वोच्च न्यायालय ने मोहिंदर सिंह गिल बनाम मुख्य निर्वाचन आयुक्त (1978) मामले में यह स्थापित किया था कि जहाँ विधानमंडल द्वारा निर्मित कानून मौन है, वहाँ अनुच्छेद 324 निर्वाचन आयोग को स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने हेतु स्वतः नियम बनाने और प्रशासनिक आदेश जारी करने की शक्ति देता है।

- अनुच्छेद 324: निर्वाचन आयोग में निहित अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण की शक्ति।
- अनुच्छेद 325: धर्म, मूलवंश, जाति या लिंग के आधार पर किसी व्यक्ति का मतदाता सूची में शामिल होने के लिए अपात्र न होना तथा किसी विशेष मतदाता सूची में शामिल होने का दावा न करना।
- अनुच्छेद 326: वयस्क मताधिकार के आधार पर लोकसभा और राज्यों की विधानसभाओं के लिए निर्वाचनों का संचालन।
- अनुच्छेद 327: विधानमंडलों के निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की संसद की शक्ति।
- अनुच्छेद 328: किसी राज्य के विधानमंडल के निर्वाचनों के संबंध में उपबंध करने की उस राज्य के विधानमंडल की शक्ति।
- अनुच्छेद 329: निर्वाचन संबंधी मामलों में न्यायालयों के हस्तक्षेप का वर्जन, जिसके अंतर्गत निर्वाचन याचिकाओं (*Election Petitions*) के माध्यम से ही चुनाव को चुनौती दी जा सकती है।

#### 1.2 एक-सदस्यीय से बहु-सदस्यीय निकाय में परिवर्तन और कार्यात्मक स्वायत्तता

स्थापना से लेकर वर्ष 1989 तक निर्वाचन आयोग एक-सदस्यीय निकाय के रूप में कार्य करता था, जिसमें केवल मुख्य चुनाव आयुक्त (*CEC*) शामिल होते थे। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम, 1988 द्वारा मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किए जाने से मतदाताओं की संख्या में भारी वृद्धि हुई। इस अतिरिक्त प्रशासनिक कार्यभार को संभालने के लिए 16 अक्टूबर 1989 को राष्ट्रपति द्वारा दो अतिरिक्त चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति की गई। यद्यपि जनवरी 1990 में इन पदों को समाप्त कर दिया गया था, परंतु 1 अक्टूबर 1993 को पारित अध्यादेश और तत्पश्चात निर्मित अधिनियम द्वारा आयोग को स्थायी रूप से तीन-सदस्यीय निकाय बना दिया गया। वर्तमान में आयोग में मुख्य चुनाव आयुक्त तथा दो अन्य चुनाव आयुक्त (*EC*) शामिल होते हैं।

संवैधानिक मर्यादा और संस्थागत स्वायत्तता बनाए रखने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान पदच्युति का संरक्षण प्राप्त है। संविधान के अनुच्छेद 324(5) के परंतुक के अनुसार, मुख्य

चुनाव आयुक्त को उनके पद से केवल उसी रीति से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है, जिस रीति से और जिन आधारों पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जाता है (अर्थात् सिद्ध कदाचार या असमर्थता के आधार पर संसद के दोनों सदनों द्वारा विशेष बहुमत से पारित प्रस्ताव द्वारा)। अन्य चुनाव आयुक्तों की सुरक्षा का तंत्र भिन्न है; उन्हें मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश के बिना उनके पद से नहीं हटाया जा सकता।

### 1.3 पद वर्गीकरण एवं समकक्षी तुलना: न्यायपालिका और कार्यपालिका के संदर्भ में

निर्वाचन आयोग की प्रशासनिक प्रभावशीलता उसके विस्तृत पदानुक्रम और राज्य तथा जिला स्तर के प्रशासनिक अधिकारियों के समतुल्य वैधानिक अधिकारों पर निर्भर करती है। संविधान का अनुच्छेद 324(6) राष्ट्रपति और राज्यों के राज्यपालों को यह निर्देश देता है कि निर्वाचन आयोग के अनुरोध पर वे आयोग को उसके कार्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक कर्मचारी वर्ग उपलब्ध कराएं। चुनाव अवधि के दौरान संपूर्ण सिविल और पुलिस प्रशासन निर्वाचन आयोग के प्रतिनियुक्ति (Deputation) पर माना जाता है।

| चुनावी पद (Electoral Rank)    | प्रशासनिक स्तर (Administrative Jurisdiction) | कार्यपालकीय समतुल्यता (Executive Equivalent) | न्यायिक समतुल्यता (Judicial Rank Equivalent)     | वैधानिक एवं कार्यात्मक सीमाएं (Statutory Powers & Limitations)                                                 |
|-------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| मुख्य चुनाव आयुक्त (CEC)      | संपूर्ण भारत (राष्ट्रीय स्तर)                | कैबिनेट सचिव (Cabinet Secretary) / सचिव स्तर | सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश                   | चुनावों का समग्र अधीक्षण; सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की भांति महाभियोग जैसी प्रक्रिया से ही पदच्युति संभव। |
| चुनाव आयुक्त (EC)             | संपूर्ण भारत (राष्ट्रीय स्तर)                | भारत सरकार के सचिव (Secretary to GoI)        | सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश                   | निर्णय प्रक्रिया में CEC के समान मताधिकार (2:1 का बहुमत); निष्कासन हेतु CEC की पूर्व सिफारिश अनिवार्य।         |
| मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO)  | राज्य/केंद्र शासित प्रदेश स्तर               | प्रमुख सचिव / अपर मुख्य सचिव                 | उच्च न्यायालय के वरिष्ठ न्यायाधीश समतुल्य        | राज्य स्तर पर चुनाव प्रबंधन का नियंत्रण; ECI के प्रशासनिक नियंत्रण में राज्य कैडर के आईएएस अधिकारी।            |
| जिला निर्वाचन अधिकारी (DEO)   | प्रशासनिक जिला स्तर                          | जिला मजिस्ट्रेट (DM) / जिला कलेक्टर          | जिला एवं सत्र न्यायाधीश (Dist. & Sessions Judge) | जिले में चुनावी कार्यों का समन्वय, पुलिस बलों का आवंटन और बृथ प्रबंधन।                                         |
| निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (ERO) | विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र स्तर               | उप-प्रभागीय मजिस्ट्रेट (SDM) / अपर कलेक्टर   | प्रथम श्रेणी न्यायिक मजिस्ट्रेट (JMJC)           | मतदाता सूची की तैयारी, पुनरीक्षण (SIR), फॉर्म 6/7/8 का निपटान; वैधानिक पंजीयन प्राधिकारी।                      |
| रिटनिंग अधिकारी (RO)          | विशिष्ट निर्वाचन क्षेत्र स्तर                | SDM / अपर जिला मजिस्ट्रेट (ADM)              | अपर जिला न्यायाधीश (ADJ)                         | नामांकन पत्रों की प्राप्ति व जांच, सिंबल आवंटन, मतदान व                                                        |

| चुनावी पद (Electoral Rank) | प्रशासनिक स्तर (Administrative Jurisdiction) | कार्यपालकीय समतुल्यता (Executive Equivalent) | न्यायिक समतुल्यता (Judicial Rank Equivalent) | वैधानिक एवं कार्यात्मक सीमाएं (Statutory Powers & Limitations)             |
|----------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
|                            |                                              |                                              |                                              | मतगणना का प्रत्यक्ष संचालन तथा परिणाम घोषणा।                               |
| ग्राम स्तरीय अधिकारी (BLO) | मतदान केंद्र (Polling Booth) स्तर            | पटवारी / शिक्षक / स्थानीय कर्मचारी           | -                                            | घर-घर जाकर भौतिक सत्यापन करना और मतदाता सूची को जमीनी स्तर पर अद्यतन करना। |

## 2. मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023: विधिक प्रावधान एवं संवैधानिक चुनौतियाँ

संविधान लागू होने के बाद से सात दशकों से अधिक समय तक अनुच्छेद 324(2) के तहत चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति प्रक्रिया हेतु संसद द्वारा कोई विशिष्ट वैधानिक कानून नहीं बनाया गया था। इसके परिणामस्वरूप आयुक्तों की नियुक्ति का विवेकाधिकार पूरी तरह से केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर राष्ट्रपति में निहित था।

### 2.1 अनुप बरनवाल निर्णय से 2023 के अधिनियम तक का वैधानिक विकास

नियुक्ति प्रक्रिया में कार्यपालकीय एकाधिकार को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की पांच-न्यायाधीशों की संविधान पीठ ने 2 मार्च 2023 को अनुप बरनवाल बनाम भारत संघ मामले में ऐतिहासिक फैसला सुनाया। न्यायालय ने माना कि निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग का कार्यपालिका के प्रभाव से मुक्त होना आवश्यक है। न्यायालय ने निर्देश दिया कि जब तक संसद कानून नहीं बना देती, तब तक CEC और ECs की नियुक्ति एक तीन-सदस्यीय निष्पक्ष समिति की सिफारिश पर की जाएगी, जिसमें शामिल होंगे:

- भारत के प्रधानमंत्री (अध्यक्ष)
- लोकसभा में विपक्ष के नेता / सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता (सदस्य)
- भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) (सदस्य)

इस न्यायिक आदेश के उत्तर में, संसद ने शीतकालीन सत्र में 'मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और पदावधि) अधिनियम, 2023' पारित किया, जिसे दिसंबर 2023 में राष्ट्रपति की स्वीकृति मिली। इस अधिनियम ने 1991 के पुराने अधिनियम का स्थान ले लिया।

### 2.2 अधिनियम 2023 की मुख्य धाराएँ, खोज एवं चयन समिति की प्रणाली

अधिनियम, 2023 ने चुनाव आयुक्तों की नियुक्ति के लिए दो-स्तरीय संस्थागत संरचना स्थापित की:

1. खोज समिति (Search Committee - Section 6): केंद्रीय कानून एवं न्याय मंत्री की अध्यक्षता में गठित इस समिति में भारत सरकार के सचिव स्तर के दो अन्य वरिष्ठ अधिकारी शामिल होते हैं। यह समिति चयन समिति के विचारार्थ योग्यता और सत्यनिष्ठा वाले पांच उपयुक्त व्यक्तियों का एक पैनल तैयार करती है।
2. चयन समिति (Selection Committee - Section 7): राष्ट्रपति को अंतिम सिफारिश भेजने वाली इस उच्चस्तरीय समिति की संरचना निम्नलिखित है:
  - प्रधानमंत्री (पदेन अध्यक्ष)

- लोकसभा में विपक्ष के नेता या सबसे बड़े विपक्षी दल के नेता (सदस्य)
- प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत एक केंद्रीय कैबिनेट मंत्री (सदस्य)

अधिनियम की धारा 8 चयन समिति को यह शक्ति प्रदान करती है कि वह पारदर्शी प्रक्रिया अपनाते हुए खोज समिति द्वारा भेजे गए पांच नामों के अतिरिक्त भी किसी योग्य व्यक्ति के नाम पर विचार कर सकती है। अधिनियम में यह भी स्पष्ट किया गया है कि चयन समिति में किसी सदस्य के पद की रिक्ति (जैसे लोकसभा भंग होने पर नेता प्रतिपक्ष का न होना) के आधार पर सिफारिश अमान्य नहीं होगी।

### 2.3 निष्कासन प्रक्रिया, कानूनी उन्मुक्ति (धारा 16) तथा बहुसंख्यक निर्णय व्यवस्था (धारा 18)

- योग्यता और पदावधि (धारा 5 एवं 9): प्रत्याशी का भारत सरकार के सचिव स्तर का अधिकारी होना या रह चुका होना अनिवार्य है। कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु (जो भी पहले हो) तक होगा। पुनर्नियुक्ति पर पूर्ण प्रतिबंध है।
- वेतन एवं सेवा शर्तें (धारा 10): अधिनियम के अंतिम स्वीकृत स्वरूप में आयोग के सदस्यों का वेतन और सेवा शर्तें सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समकक्ष रखी गई हैं।
- न्यायिक कार्यवाही से सुरक्षा (धारा 16): यह धारा एक महत्वपूर्ण विधिक ढांचा प्रदान करती है, जिसके अनुसार CEC या किसी EC के खिलाफ उनके आधिकारिक कर्तव्यों के निर्वहन में किए गए किसी कार्य या व्यक्ति किए गए शब्दों के लिए किसी भी सिविल या आपराधिक अदालत में कोई कार्यवाही नहीं चलाई जा सकती।
- कार्यप्रणाली और असहमति का समाधान (धारा 18): आयोग के सभी निर्णय जहां तक संभव हो सर्वसम्मति से लिए जाएंगे। यदि सर्वसम्मति न बने, तो मामला बहुमत की राय (2:1 के अनुपात) से तय किया जाएगा।

### 2.4 न्यायिक समीक्षा, शक्ति-पृथक्करण का सिद्धांत और सर्वोच्च न्यायालय में *split verdict* (2024–2026)

अधिनियम, 2023 की धारा 7 की संवैधानिक वैधता को सर्वोच्च न्यायालय में चुनौती दी गई। याचिकाकर्ताओं का मुख्य तर्क यह था कि चयन समिति में भारत के मुख्य न्यायाधीश (CJI) को हटाकर उनके स्थान पर प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत कैबिनेट मंत्री को शामिल करने से समिति में सरकार का 2:1 का स्पष्ट बहुमत हो जाता है। इससे कार्यपालिका का एकतरफा नियंत्रण स्थापित होता है, जो अनूप बरनवाल निर्णय की भावना का उल्लंघन करता है और 'स्वतंत्र चुनाव प्रणाली' के बुनियादी ढांचे के सिद्धांत को कमजोर करता है।

इस मामले पर सुनवाई करते हुए सर्वोच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ (न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा) ने विभाजित निर्णय (*Split Verdict*) दिया। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता का मानना था कि चुनाव आयोग को कार्यकारी नियंत्रण से मुक्त रखना संविधान के मूल ढांचे का हिस्सा है। वहीं, न्यायमूर्ति शर्मा ने मामले के दूरगामी संवैधानिक महत्व को देखते हुए इसे भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा संविधान पीठ (*Constitution Bench*) को संदर्भित करने की सिफारिश की। वर्तमान में यह मामला सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के समक्ष विचारधीन है।

**3. निर्वाचन आयोग के कार्याधिकार, आचार संहिता, राजनीतिक दल पंजीकरण एवं अयोग्यता समाधान**  
निर्वाचन आयोग की प्रशासनिक शक्तियों का क्षेत्र केवल चुनाव कराने तक सीमित नहीं है, बल्कि यह स्वतंत्र प्रतियोगिता सुनिश्चित करने के लिए बहुआयामी अर्द्ध-न्यायिक दायित्वों का निर्वहन भी करता है।

### 3.1 चुनाव तिथियों का निर्धारण एवं आदर्श आचार संहिता (MCC) का व्यावहारिक प्रवर्तन

निर्वाचन आयोग अधिसूचना जारी करने, नामांकन, पत्रों की जांच, नाम वापसी, मतदान और मतगणना की तिथियों का निर्धारण करता है। चुनाव की घोषणा की तिथि से ही पूरे देश या संबंधित चुनाव क्षेत्र में आदर्श आचार संहिता

(*Model Code of Conduct - MCC*) लागू हो जाती है।

*MCC* राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों के आचरण को नियंत्रित करने वाला नियमों का एक तंत्र है, जिसे राजनीतिक दलों के बीच आम सहमति से विकसित किया गया है। यद्यपि *MCC* का कोई प्रत्यक्ष वैधानिक आधार (*Statutory Backing*) नहीं है, फिर भी सर्वोच्च न्यायालय ने इसकी प्रवर्तनीयता को स्वीकार किया है। आयोग इसके उल्लंघन पर उम्मीदवारों को प्रचार से रोकने (24 से 72 घंटे तक का प्रतिबंध), कारण बताओ नोटिस जारी करने, रैली की अनुमति रद्द करने, और लोक सेवकों के स्थानांतरण जैसे आदेश दे सकता है।

### 3.2 राजनीतिक दलों का पंजीकरण (धारा 29A) तथा चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29A के तहत किसी भी नए राजनीतिक दल को अपनी स्थापना के 30 दिनों के भीतर निर्वाचन आयोग में पंजीकरण हेतु आवेदन करना होता है। पंजीकृत दलों को आयोग के समक्ष अपने वार्षिक लेखा-परीक्षित खाते और योगदान रिपोर्ट (*Contribution Reports*) जमा करना अनिवार्य है।

राजनीतिक दलों की मान्यता और उन्हें चुनाव चिन्हों का आवंटन 'चुनाव चिन्ह (आरक्षण और आवंटन) आदेश, 1968' (*Election Symbols - Reservation and Allotment Order, 1968*) के वैधानिक प्रावधानों के अनुसार किया जाता है:

- राष्ट्रीय दल की मान्यता: किसी राजनीतिक दल को राष्ट्रीय दल का दर्जा प्राप्त करने के लिए कम से कम 4 राज्यों में लोकसभा या विधानसभा चुनावों में कुल वैध मतों का 6% तथा न्यूनतम 4 लोकसभा सीटें प्राप्त होनी चाहिए; या कम से कम 3 राज्यों से लोकसभा की कुल सीटों का 2% प्राप्त होना चाहिए; या कम से कम 4 राज्यों में राज्यस्तरीय दल के रूप में मान्यता प्राप्त होनी चाहिए।
- राज्यस्तरीय दल की मान्यता: संबंधित राज्य के विधानसभा चुनाव में कुल वैध मतों का 6% तथा 2 विधानसभा सीटें; या लोकसभा चुनाव में 6% मत और 1 लोकसभा सीट; या कुल विधानसभा सीटों का 3% (या न्यूनतम 3 सीटें) प्राप्त होना अनिवार्य है।
- पार्टी विभाजन और चिन्ह विवाद: जब किसी मान्यता प्राप्त दल में दो परस्पर विरोधी गुटों के बीच विभाजन होता है, तो सिंबल आदेश 1968 के पैरा 15 के तहत आयोग एक अर्द्ध-न्यायिक निकाय के रूप में सुनवाई करता है। आयोग विधायी शाखा (सांसदों व विधायकों) तथा संगठनात्मक शाखा में बहुमत के साक्ष्यों का परीक्षण कर यह तय करता है कि कौन सा गुट वास्तविक दल है और किसे मूल चुनाव चिन्ह दिया जाएगा।

3.3 राजनीति का अपराधीकरण, जन प्रतिनिधित्व अधिनियम की धारा 8 व 10A और सजा का समाधान  
चुनावी राजनीति को अपराध मुक्त बनाने के लिए आयोग जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 के दंडात्मक प्रावधानों को लागू करता है:

- धारा 8 के तहत अयोग्यता: धारा 8(1), 8(2) और 8(3) के अंतर्गत यदि किसी जनप्रतिनिधि या भावी उम्मीदवार को किसी गंभीर अपराध में दोषी ठहराया जाता है और 2 वर्ष या उससे अधिक की कारावास की सजा सुनाई जाती है, तो वह दोषसिद्धि की तिथि से अयोग्य घोषित हो जाता है। ऐसी अयोग्यता सजा पूरी होने के बाद अगले 6 वर्षों तक बनी रहती है।
- दोषसिद्धि पर स्थगन का प्रभाव: लोक प्रहरी बनाम भारत संघ (2018) मामले में स्पष्ट किया गया कि केवल अपीलीय अदालत द्वारा सजा के निलंबन (*Suspension of Sentence*) से अयोग्यता नहीं हटती; जब तक कि अपीलीय अदालत द्वारा 'दोषसिद्धि पर रोक' (*Stay on Conviction*) का स्पष्ट आदेश न जारी किया जाए।
- व्यय विवरण न देने पर अयोग्यता (धारा 10A): यदि कोई उम्मीदवार चुनाव परिणाम घोषित होने के 30 दिनों के भीतर आयोग द्वारा निर्धारित सीमा और प्रारूप में अपने चुनाव खर्च का सही विवरण देने में विफल रहता है, तो आयोग धारा 10A के तहत उसे 3 वर्षों की अवधि के लिए संसद या विधानसभा का चुनाव लड़ने

से अयोग्य घोषित कर सकता है।

**4. डिजिटल इंडिया और मतदाता सूची का आधुनिकीकरण:** विशेष गहन पुनरीक्षण (*SIR*) और उत्पन्न विवाद डिजिटल इंडिया मिशन के एक भाग के रूप में, निर्वाचन आयोग ने मतदाता डेटाबेस को एकीकृत और आधुनिक बनाने के लिए '*ERONet*' और हाल ही में '*ECINet*' जैसे डिजिटल प्लेटफॉर्म लागू किए हैं। इन प्लेटफॉर्मों का उद्देश्य दोहरी प्रविष्टियों (*Dual Enrollment*) को हटाना, पते के स्थानांतरण को सरल बनाना और मतदाता सूची (*Electoral Roll*) की शुद्धता सुनिश्चित करना है।

#### 4.1 *ERONet* एवं *ECINet* का तकनीकी एकीकरण तथा मतदाता सूची पुनरीक्षण का वैधानिक ढांचा

जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 की धारा 21 और मतदाता पंजीकरण नियम, 1960 के तहत आयोग को नियमित आधार पर मतदाता सूची के पुनरीक्षण का अधिकार है। सामान्यतः प्रतिवर्ष 'विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण' (*Special Summary Revision - SSR*) आयोजित किया जाता है। परंतु जब किसी क्षेत्र में बड़े पैमाने पर फर्जी मतदाताओं, प्रवासियों या विदेशी नागरिकों के अवैध समावेशन की आशंका होती है, तो आयोग विशेष गहन पुनरीक्षण (*Special Intensive Revision - SIR*) का आदेश देता है। *SIR* के तहत केवल मौजूदा सूची को अपडेट नहीं किया जाता, बल्कि बीएलओ (*BLO*) द्वारा घर-घर जाकर नागरिकों के दस्तावेजों का नए सिरे से भौतिक सत्यापन किया जाता है।

#### 4.2 विशेष गहन पुनरीक्षण (*SIR 2025–2026*): गोवा सॉफ्टवेयर समस्या, फॉर्म-6 संशोधन और 14 आंतरिक आपत्तियों का विश्लेषण

वर्ष 2025-2026 में देश के 31 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में आयोजित व्यापक *SIR* प्रक्रिया एक गंभीर प्रशासनिक और राजनीतिक विवाद के केंद्र में आ गई। एक खोजी मीडिया रिपोर्ट के उजागर होने के बाद आयोग की आंतरिक कार्यप्रणाली पर प्रश्न खड़े हुए, जिसमें यह बात सामने आई कि दो चुनाव आयुक्तों—सुखबीर सिंह संधू और विवेक जोशी—ने 10 महीनों की अवधि में *SIR* से जुड़े निर्णयों पर कम से कम 14 बार अपनी लिखित आपत्तियां दर्ज कराई थीं:

- फॉर्म-6 में अनधिकृत परिवर्तन: नए मतदाताओं के पंजीकरण हेतु प्रयुक्त फॉर्म-6 के ऑनलाइन पोर्टल पर एक नया अनिवार्य फ़ील्ड जोड़ा गया, जिसमें नए आवेदकों से यह पूछा गया कि क्या उनका या उनके माता-पिता का नाम वर्ष 2002 की पूर्व *SIR* मतदाता सूची में दर्ज था। आयुक्त संधू ने इस शर्त को "अनधिकृत और गैर-कानूनी" बताते हुए इसे तुरंत हटाने का नोट लिखा था।
- डेटाबेस का केंद्रीकरण और *ERO* अधिकारों का क्षरण: जन प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1950 के तहत मतदाता सूची में किसी नाम को जोड़ने या हटाने का वैधानिक अधिकार केवल संबंधित विधानसभा क्षेत्र के निर्वाचक पंजीयन अधिकारी (*ERO*) को है। आयुक्तों ने चिंता जताई कि दिल्ली में स्थित *ECINet* के केंद्रीय डेटाबेस और सॉफ्टवेयर एल्गोरिदम द्वारा *EROs* की वैधानिक शक्तियों को बाईपास करके 'ऑटोमेटेड डिजिटल' या 'लॉजिकल डिस्क्रेप्सी' के तहत नाम हटाए जा रहे थे।
- गोवा में तकनीकी सॉफ्टवेयर त्रुटि (*Goa Rollback Issue*): गोवा में *SIR* सॉफ्टवेयर ने तार्किक विसंगति के आधार पर कई पात्र नागरिकों को हटाने हेतु फ़्लैग किया। जांच के बाद *EROs* ने 97 मतदाताओं के दस्तावेजों को सही पाया, परंतु *SIR* सॉफ्टवेयर में "रोलबैक" (कटौती को निरस्त करने) का कोई तकनीकी विकल्प न होने के कारण उन पात्र मतदाताओं के नाम अंतिम सूची में वापस शामिल नहीं किए जा सके। गोवा सीईओ कार्यालय द्वारा 8 बार अनुरोध भेजे जाने के बाद भी समय सीमा समाप्त होने तक समस्या का समाधान नहीं हो सका।

**4.3 राज्यवार विलोपन के सांख्यिकीय साक्ष्य और *ADR* बनाम *ECI* (2026) निर्णय का संवैधानिक विश्लेषण**  
*SIR* प्रक्रिया के कारण बड़े पैमाने पर मतदाताओं के नाम सूची से हटाए जाने के आंकड़े सामने आए, जिसने राजनीतिक बहस को तीव्र कर दिया।

| राज्य/केंद्र शासित प्रदेश (State/UT) | पुनरीक्षण पूर्व मतदाता (Before SIR) | संशोधित/अंतिम मतदाता (Final Roll) | कुल नाम हटाए गए (Absolute Deletions) | प्रतिशत कमी (%) Reduction) |
|--------------------------------------|-------------------------------------|-----------------------------------|--------------------------------------|----------------------------|
| उत्तर प्रदेश                         | 15.44 करोड़                         | 13.39 करोड़                       | ~2.05 करोड़                          | -13.21%                    |
| पश्चिम बंगाल                         | 7.69 करोड़                          | 6.86 करोड़                        | ~83.86 लाख                           | -10.90%                    |
| गुजरात                               | 5.08 करोड़                          | 4.40 करोड़                        | ~68.00 लाख                           | -14.50%                    |
| बिहार (प्रथम चरण)                    | 7.90 करोड़                          | 7.43 करोड़                        | ~47.00 लाख                           | -5.95%                     |
| कुल भारत (31 राज्य/UTs)              | ~94.70 करोड़                        | ~80.90 करोड़                      | ~13.80 करोड़                         | -14.60%                    |

इन विलोपनों को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर फैसला सुनाते हुए सर्वोच्च न्यायालय (मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत की अध्यक्षता वाली पीठ) ने मई 2026 में एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत निर्वाचन आयोग मामले में महत्वपूर्ण सिद्धांत प्रतिपादित किया। न्यायालय ने आयोग की SIR आयोजित करने की संवैधानिक शक्ति को तो बरकरार रखा और कहा कि शुद्ध मतदाता सूची स्वतंत्र चुनाव के लिए आवश्यक है। परंतु सर्वोच्च न्यायालय ने यह स्पष्ट रूप से रेखांकित किया कि निर्वाचन आयोग मतदाता सूची के पुनरीक्षण के बहाने किसी नागरिक की नागरिकता (Citizenship Status) निर्धारित करने वाली संस्था के रूप में कार्य नहीं कर सकता। आयोग का दायित्व केवल मतदाता की पात्रता (आयु, सामान्य निवास) जांचने तक सीमित है, न कि नागरिकता साबित करने का बोझ नागरिक पर डालना।

**5. आधुनिक चुनावी प्रौद्योगिकी, पारदर्शिता और सुरक्षा: EVM, VVPAT, NOTA एवं टोटलाइजर**  
भारत में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन (EVM) के प्रयोग ने मतदान प्रक्रिया को गति और शुद्धता प्रदान की है, किंतु इसकी तकनीकी विश्वसनीयता पर निरंतर न्यायिक और जन-बहस होती रही है।

**5.1 EVM-VVPAT की वास्तुकला, प्रक्रियात्मक सुरक्षा और ADR बनाम ECI (अप्रैल 2024) निर्णय**  
EVM प्रणाली मुख्य रूप से दो इकाइयों—कंट्रोल यूनिट (CU) और बैलेटिंग यूनिट (BU)—से मिलकर बनती है, जिसमें 2013 के बाद वोटर वेरीफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (VVPAT) को जोड़ा गया। EVM एक स्टैंडअलोन मशीन है जिसमें कोई इंटरनेट, ब्लूटूथ, या वायरलेस कनेक्टिविटी नहीं होती। इसमें एक बार प्रोग्राम किया जाने वाला (One-Time Programmable - OTP) माइक्रोकंट्रोलर चिप निर्मित होता है।

26 अप्रैल 2024 को सर्वोच्च न्यायालय की दो-न्यायाधीशों की पीठ ने एसोसिएशन फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स बनाम भारत निर्वाचन आयोग (2024) मामले में 100% VVPAT परीचियों के भौतिक मिलान या कागजी बैलेट प्रणाली पर वापस लौटने की मांग वाली याचिकाओं को पूरी तरह खारिज कर दिया। न्यायालय ने माना कि मौजूदा EVM-VVPAT प्रणाली पूरी तरह सुरक्षित है। हालांकि, पारदर्शिता बढ़ाने के लिए न्यायालय ने दो अभूतपूर्व निर्देश जारी किए:

- सिंबल लोडिंग यूनिट (SLU) की सीलिंग: चुनाव चिहनों को VVPAT में लोड करने के बाद प्रयोग की गई सभी सिंबल लोडिंग यूनिट्स (SLU) को चुनाव परिणामों की घोषणा की तिथि से कम से कम 45 दिनों की अवधि के लिए स्ट्रॉन्ग रूम में सील करके सुरक्षित रखा जाएगा।
- माइक्रोकंट्रोलर की तकनीकी जांच का अधिकार: परिणाम घोषित होने के बाद दूसरे या तीसरे स्थान पर रहने वाले उम्मीदवारों के पास यह अधिकार होगा कि वे प्रति विधानसभा क्षेत्र के 5% EVM (कंट्रोल यूनिट और VVPAT) के माइक्रोकंट्रोलर की बर्न मेमोरी (Burned Memory) की जांच का अनुरोध कर सकते हैं। यह जांच EVM निर्माताओं (ECIL/BEL) के इंजीनियरों द्वारा की जाएगी, जिसका शुल्क उम्मीदवार वहन करेगा। विसंगति पाए जाने पर शुल्क वापस कर दिया जाएगा।

**5.2 नोटा (NOTA) का अधिकार तथा टोटलाइजर (Totalizer) तकनीक की व्यावहारिक आवश्यकता**

- नोटा (None of the Above - NOTA): सर्वोच्च न्यायालय के पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज

(PUCL) बनाम भारत संघ (2013) निर्णय के बाद EVM में NOTA का बटन शामिल किया गया। इसका मुख्य उद्देश्य मतदाताओं को नकारात्मक मतदान या सभी उम्मीदवारों को खारिज करने का अधिकार (Right to Reject) देना है। हालांकि, मौजूदा चुनावी नियमों के तहत यदि NOTA को किसी निर्वाचन क्षेत्र में सर्वाधिक वोट मिलते हैं, तब भी दूसरे स्थान पर सर्वाधिक वोट पाने वाले उम्मीदवार को ही विजयी घोषित किया जाता है।

- टोटलाइजर (Totalizer) मशीन का विचार: वर्तमान मतगणना प्रणाली में प्रत्येक मतदान केंद्र (Booth) के मतों की गिनती अलग-अलग होती है। इससे राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों को यह स्पष्ट पता चल जाता है कि किस विशिष्ट बूथ या गांव के लोगों ने उनके पक्ष या विपक्ष में वोट दिया। इसके परिणामस्वरूप चुनाव बाद प्रतिशोध, विकास कार्यों में भेदभाव या उत्पीड़न की घटनाएं देखी जाती हैं। 'टोटलाइजर' एक ऐसी तकनीकी प्रणाली है जो 14 से 15 EVM मशीनों के कंट्रोल यूनितों को एक साथ जोड़कर एकीकृत परिणाम दिखाती है, जिससे बूथ-वार वोटिंग पैटर्न गुप्त रहता है। विधि आयोग की 255वीं रिपोर्ट ने टोटलाइजर को अपनाने की जोरदार सिफारिश की है, जिस पर राजनीतिक सहमति बनना अभी बाकी है।

**6. भारतीय चुनाव प्रणाली में समकालीन सुधार: 'एक राष्ट्र, एक चुनाव' (ONOE) का बहुआयामी परीक्षण**  
'एक राष्ट्र, एक चुनाव' (One Nation, One Election - ONOE) का तात्पर्य देश में लोकसभा, सभी 28 राज्यों की विधानसभाओं तथा स्थानीय निकायों (पंचायतों व नगरपालिकाओं) के चुनावों को एक ही समय सीमा या एकीकृत चुनावी चक्र के भीतर आयोजित करना है।

#### 6.1 ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और राम नाथ कोविंद उच्चस्तरीय समिति (HLC) की सिफारिशें

भारत में 1951-52 से 1967 तक लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के चुनाव एक साथ ही आयोजित होते थे। किंतु 1968-69 में कुछ विधानसभाओं के समयपूर्व विघटन तथा 1970 में लोकसभा के समयपूर्व भंग होने के कारण यह चक्र टूट गया।

सितंबर 2023 में भारत सरकार द्वारा पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद की अध्यक्षता में उच्चस्तरीय समिति (HLC) का गठन किया गया। समिति ने मार्च 2024 में अपनी 18,000 पृष्ठों की विस्तृत रिपोर्ट प्रस्तुत की, जिसे 18 सितंबर 2024 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने स्वीकार कर लिया।

समिति की मुख्य सिफारिशें निम्नलिखित हैं:

#### 1. दो-चरणीय कार्यान्वयन (Two-Phase Implementation):

- प्रथम चरण: लोकसभा और सभी राज्यों की विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएं।
- द्वितीय चरण: प्रथम चरण के आयोजन के 100 दिनों के भीतर सभी नगरपालिकाओं और पंचायतों (स्थानीय निकायों) के चुनाव कराए जाएं।

#### 2. नियत तिथि (Appointed Date) और अवशिष्ट कार्यकाल का सिद्धांत: आम चुनावों के बाद लोकसभा की पहली बैठक की तिथि को राष्ट्रपति द्वारा 'नियत तिथि' अधिसूचित किया जाएगा। इसके बाद चुनी जाने वाली किसी भी विधानसभा का कार्यकाल अगली लोकसभा के बचे हुए कार्यकाल (Unexpired Term) के साथ ही समाप्त हो जाएगा।

#### 3. एकीकृत मतदाता सूची (Single Electoral Roll): ECI और राज्य निर्वाचन आयोगों (SECs) के समन्वय से एक ही कॉमन वोटर लिस्ट और EPIC तैयार किया जाएगा।

**6.2 129वाँ संविधान संशोधन विधेयक, 2024 और अनुच्छेद 82A, 83, 172, 324A, 325 तथा 327 का संशोधन** ढांचा ONOE को लागू करने के लिए सरकार ने संविधान (129वाँ संशोधन) विधेयक, 2024 तथा 'केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक, 2024' तैयार किया है।

| संविधान का अन्च्छेद (Article) | प्रस्तावित वैधानिक संशोधन (Proposed Amendment Details)                                       | राज्यों की स्वीकृति की आवश्यकता (State Ratification)   |
|-------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| अन्च्छेद 82A                  | राष्ट्रपति द्वारा 'नियत तिथि' की अधिसूचना और विधानसभाओं के कार्यकाल का लोकसभा के साथ संरेखण। | संसद के दोनों सदनों का 2/3 विशेष बहुमत।                |
| अन्च्छेद 83(2)                | लोकसभा की अवधि और समयपूर्व भंग होने पर नई सभा का केवल 'शेष कार्यकाल' हेतु गठन।               | संसद का 2/3 विशेष बहुमत।                               |
| अन्च्छेद 172                  | राज्य विधानसभाओं की अवधि और अविश्वास प्रस्ताव/विघटन की स्थिति में 'अवशिष्ट अवधि' का नियम।    | संसद का 2/3 विशेष बहुमत।                               |
| अन्च्छेद 324A                 | स्थानीय निकायों (पंचायतों व नगरपालिकाओं) के चुनाव 100 दिनों के भीतर कराने का प्रावधान।       | संसद का 2/3 बहुमत + कम से कम 50% राज्यों का अनुसमर्थन। |
| अन्च्छेद 325                  | ECI को एकल/एकीकृत मतदाता सूची और कॉमन EPIC बनाने का संवैधानिक अधिकार।                        | संसद का 2/3 बहुमत + कम से कम 50% राज्यों का अनुसमर्थन। |
| अन्च्छेद 327                  | चुनाव संबंधी कानून बनाने की संसद की शक्ति में "समकालिक चुनाव" शब्द जोड़ना।                   | संसद का 2/3 विशेष बहुमत।                               |

### 6.3 विकसित भारत@2047' के संदर्भ में *ONOE* का आर्थिक, प्रशासनिक और लॉजिस्टिकल विश्लेषण

- आर्थिक एवं बजटीय लाभ: बार-बार होने वाले चुनावों से प्रत्यक्ष प्रशासनिक खर्चों के साथ-साथ राजनीतिक दलों का अप्रत्यक्ष खर्च भी अत्यधिक बढ़ जाता है। कोविंद समिति और प्रमुख उद्योग संगठनों (CII, FICCI) के अनुसार, *ONOE* से चुनावी खर्च में कमी आएगी और सरकारी नीतिगत स्थिरता से सकल घरेलू उत्पाद (GDP) की वृद्धि दर पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा।
- नीतिगत पक्षाघात (Policy Paralysis) की समाप्ति: वर्ष में कई बार आदर्श आचार संहिता लागू होने से विकास योजनाएं और बजटीय स्वीकृतियां रुक जाती हैं। *ONOE* से सरकारें पूरे 5 वर्ष बिना किसी चुनावी बाधा के शासन और अवसंरचना विकास पर ध्यान केंद्रित कर सकेंगी।
- लॉजिस्टिक और सुरक्षा चुनौतियाँ: ECI के अनुमान के अनुसार *ONOE* हेतु मौजूदा मशीनों से कम से कम दोगुनी संख्या में EVM और VVPAT की आवश्यकता होगी। मशीनों की 15 वर्ष की आयु में उनका केवल 3 बार ही उपयोग हो पाएगा, जिससे भंडारण और रखरखाव का खर्च बढ़ेगा। इसके अतिरिक्त पूरे देश में एक साथ सीएपीएफ (CAPF) बलों की तैनाती करना अत्यंत जटिल चुनौती होगी।

### 6.4 राज्य स्तरीय और राष्ट्रीय दलों पर प्रभाव तथा भारतीय संघवाद के समक्ष संवैधानिक चुनौतियाँ

विपक्षी दलों और कई विधि विशेषज्ञों का तर्क है कि *ONOE* भारतीय संघवाद (Federalism) की मूल आत्मा के प्रतिकूल है। यदि किसी राज्य में चुनाव राष्ट्रीय मुद्दों के साथ होते हैं, तो मतदाता के राष्ट्रीय रुझान से प्रभावित होकर वोट देने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे क्षेत्रीय दलों को नुकसान हो सकता है और राष्ट्रीय दल अनुचित लाभ की स्थिति में आ सकते हैं। इसके अलावा, किसी राज्य सरकार के 2 वर्ष में ही गिर जाने पर वहाँ केवल 3 वर्ष के अवशिष्ट कार्यकाल हेतु चुनाव कराने का नियम राजनीतिक और बजटीय रूप से कितना व्यावहारिक होगा, यह एक विचारणीय प्रश्न है।

**7. भारतीय राजनीति की दशा एवं दिशा (2000–2024): सामाजिक, राजनीतिक और प्रशासनिक साक्ष्य**  
पिछले ढाई दशकों (2000-2024) में भारतीय चुनावी राजनीति में केवल चुनावी तकनीकों का ही बदलाव नहीं हुआ है, बल्कि मतदाता के व्यवहार, सामाजिक समीकरणों और प्रचार के साधनों में भी गहरा परिवर्तन आया है।

### 7.1 लोकसभा चुनाव 2024 और गठबंधन राजनीति का पुनरोदय

2014 और 2019 के आम चुनावों में एक-दलीय स्पष्ट बहुमत के उभरने से यह माना जाने लगा था कि भारतीय राजनीति से 'गठबंधन युग' समाप्त हो चुका है।

हालांकि, 2024 के 18वें लोकसभा चुनाव के परिणामों ने पुनः यह साबित कर दिया कि भारतीय विविधता में बहुदलीय गठबंधन की जड़े अत्यधिक गहरी हैं। 2024 में संतारुद्ध दल को पूर्ण बहुमत से पीछे रहने के कारण अपने गठबंधन सहयोगियों के समर्थन से सरकार बनानी पड़ी। यह परिणाम दर्शाता है कि भारतीय मतदाता केंद्रीय शक्ति के अत्यधिक केंद्रीकरण को संतुलित करने के लिए क्षेत्रीय आकांक्षाओं को पुनः महत्व प्रदान करता है।

### 7.2 भारतीय राजनीति में महिलाओं की भूमिका: 106वाँ संविधान संशोधन, मतदान व्यवहार और सामाजिक सशक्तिकरण

2000 के बाद से भारतीय चुनावी राजनीति की सबसे बड़ी प्रवृत्ति 'महिला मतदाता' का एक निष्पक्ष और निर्णायक वोट-बैंक के रूप में उभरना है:

- लैंगिक समता (*Gender Turnout Parity*): 2019 और 2024 के चुनावों में कई राज्यों में महिलाओं का मतदान प्रतिशत पुरुषों की तुलना में अधिक दर्ज किया गया।
- 106वाँ संविधान संशोधन अधिनियम, 2023 ('नारी शक्ति वंदन अधिनियम'): इस ऐतिहासिक कानून द्वारा लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33% सीटें आरक्षित करने का संवैधानिक प्रावधान किया गया है, जो आगामी परिसीमन के बाद लागू होगा।
- महिला मतदान व्यवहार के निर्धारक: अध्ययन दर्शाते हैं कि महिलाएं अब परिवार के पुरुषों के निर्देश से इतर स्वतंत्र रूप से मतदान करती हैं। वे प्रत्यक्ष लाभ अंतरण (DBT) योजनाओं (जैसे लाडली बहना, महतारी वंदन), कल्याणकारी गारंटियों, कानून-व्यवस्था, और पेयजल/रसोई गैस जैसे जीवन की गुणवत्ता से जुड़े मुद्दों पर वोट देती हैं।

### 7.3 जातिगत समीकरण, धार्मिक धुवीकरण, डॉ. बी.आर. आंबेडकर की अनुच्छेद 340 की परिकल्पना और सामाजिक न्याय

भारतीय लोकतंत्र में जाति और वर्ग के समीकरण हमेशा से चुनावी राजनीति के केंद्र में रहे हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान और हरियाणा जैसे राज्यों में 1998 से 2023 के बीच हुए चुनावों का विश्लेषण यह दर्शाता है कि पारंपरिक जातिगत गठबंधनों (जैसे मण्डल-उत्तर दौरे) के साथ-साथ अब कल्याणकारी योजनाओं और पहचान की राजनीति का एक नया मिश्रण उभरा है।

- जातिगत जनगणना और सामाजिक न्याय: डॉ. बी.आर. आंबेडकर द्वारा संविधान के अनुच्छेद 340 के तहत अन्य पिछड़ा वर्ग (OBC) के सामाजिक और शैक्षणिक उत्थान हेतु की गई संवैधानिक परिकल्पना आज की राजनीति का मुख्य धुरी बिंदु बन गई है। 2020-2024 के दौरान जातिगत जनगणना (Caste Census) की बढ़ती मांग सामाजिक न्याय के पुनर्संतुलन की दिशा में एक बड़ा कदम है।
- धार्मिक एवं सांस्कृतिक पहचान: 2014 के बाद से चुनावी लामबंदी में सांस्कृतिक और धार्मिक पहचान का व्यापक उपयोग देखा गया है। जनजातीय समाजों और ग्रामीण इलाकों में पारंपरिक वफादारियों में बदलाव आया है, जिसने कई राज्यों के पारंपरिक राजनीतिक समीकरणों को बदला है।

### 7.4 पारंपरिक चुनाव प्रचार (1952–2024) से डिजिटल-सोशल मीडिया युग में संक्रमण

भारत में चुनाव प्रचार के तरीकों में ऐतिहासिक बदलाव आया है, जिसे मुख्य रूप से दो युगों में विभाजित किया जा

सकता है:

- पारंपरिक युग (1952–2000): यह युग जनसभाओं, बैलगाड़ी व पैदल रैलियों, नक्कड़ नाटकों, प्रिंट मीडिया, पर्चों, लाउडस्पीकरों और दीवारों पर पेंटिंग पर आधारित था। इस दौर में राजनीतिक संचार धीमा और आमने-सामने के संपर्क से संचालित होता था।
- डिजिटल और सोशल मीडिया युग (2014–2024): वर्तमान चुनाव प्रचार में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI), डीपफेक तकनीक, डेटा एनालिटिक्स, व्हाट्सएप ग्रुप्स, एल्गोरिदमिक माइक्रो-टारगेटिंग (Micro-Targeting), और सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स का वर्चस्व है। अब उम्मीदवार अपने संदेशों को किसी विशेष आयु वर्ग या जाति समूह के अनुसार कस्टमाइज करके सीधे उनके स्मार्टफोन तक पहुंचा रहे हैं।

### 7.5 नौकरशाही और सुशासन (Good Governance) के मध्य अंतर्संबंध

सुशासन (Good Governance) की स्थापना के लिए एक तटस्थ और कुशल प्रशासनिक संरचना अनिवार्य है। चुनाव के दौरान सिविल सेवाओं और पुलिस तंत्र को निष्पक्ष रहकर कार्य करना होता है। जब निर्वाचन आयोग प्रशासनिक तंत्र को राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्त रखता है, तो इससे न केवल चुनाव की विश्वसनीयता बढ़ती है, बल्कि आम नागरिक का लोकतांत्रिक संस्थाओं पर विश्वास भी मजबूत होता है। उच्च स्तरीय प्रशासनिक सुधारों का मुख्य उद्देश्य चुनाव प्रबंधन को और अधिक पारदर्शी बनाना है।

### 8. निष्कर्ष एवं भावी दिशा

भारत निर्वाचन आयोग ने पिछले सात दशकों में दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव आयोजित करके एक अद्वितीय वैश्विक साख अर्जित की है। हालांकि, 21वीं सदी के बदलते सामाजिक-प्रौद्योगिकी परिदृश्य में आयोग के समक्ष नई संस्थागत चुनौतियाँ उभरी हैं।

**मुख्य चुनाव आयुक्त एवं अन्य चुनाव आयुक्त अधिनियम, 2023** ने आयोग को वैधानिक ढांचा तो प्रदान किया है, किंतु चयन समिति में कार्यपालिका के स्पष्ट बहुमत और मुख्य न्यायाधीश की गैर-मौजूदगी ने इसकी संस्थागत स्वायत्तता पर गंभीर प्रश्न खड़े किए हैं। सर्वोच्च न्यायालय की संविधान पीठ का भावी निर्णय यह तय करेगा कि आयोग की कार्यकारी स्वतंत्रता का दायरा क्या होगा।

डिजिटल इंडिया और मतदाता सूची के पुनरीक्षण (SIR) के मोर्चे पर, प्रौद्योगिकी का उपयोग मतदाता सूची को शुद्ध करने के लिए होना चाहिए, न कि प्रशासनिक गलतियों या सॉफ्टवेयर की कमियों के कारण वास्तविक नागरिकों को मताधिकार से वंचित करने के लिए। आयोग की आंतरिक कार्यप्रणाली में बहुलवादी दृष्टिकोण और सर्वसम्मति को सर्वोच्च प्राथमिकता मिलनी चाहिए।

**‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ (ONOE)** जैसे दूरगामी प्रस्तावों को केवल बजटीय बचत के दृष्टिकोण से लागू करने के बजाय भारतीय संघवाद, राज्य विधानसभाओं के अधिकारों, तथा लॉजिस्टिकल यथार्थवाद के सिद्धांतों के साथ संतुलित करना होगा।

अंततः, भारतीय लोकतंत्र की सफलता इस बात पर निर्भर करेगी कि निर्वाचन आयोग अपनी संस्थागत स्वायत्तता की रक्षा करे, चुनाव प्रचार में धनबल और डीपफेक जैसी तकनीकों के दुरुपयोग को रोके, और मतदाता सूची से लेकर **EVM-VVPAT तक प्रत्येक स्तर पर पारदर्शिता बनाए रखे।** केवल **एक सशक्त, स्वायत्त और पारदर्शी चुनाव आयोग ही ‘विकसित भारत’ की लोकतांत्रिक नींव को सुरक्षित रख सकता है।**

### Works cited

#### 1. Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act,

<https://vajiramandravi.com/current-affairs/chief-election-commissioner-and-other-election-commissioner-s-act-2023/>

#### 2. THE ELECTION COMMISSIONERS' APPOINTMENT ACT, 2023,

<https://www.hpnlu.ac.in/PDF/aa317ed8-5cab-4abe-91b8-0cda80782c93.pdf>

3. **One Nation One Election 'The Constitution 129th Amendment Bill,**  
<https://www.drishtiias.com/daily-updates/daily-news-analysis/one-nation-one-election-the-constitution-129th-amendment-bill-2024>
4. **One Nation, One Election - The Academic,** <https://theacademic.in/wp-content/uploads/2024/11/47.pdf>
5. **One Nation, One Election - Wikipedia,** [https://en.wikipedia.org/wiki/One\\_Nation,\\_One\\_Election](https://en.wikipedia.org/wiki/One_Nation,_One_Election)
6. **The CEC and Other Election Commissioners Bill, 2023 - PRS India,**  
<https://prsindia.org/billtrack/prs-products/prs-legislative-brief-4256>
7. **Chief Election Commissioner and Other Election ... - Wikipedia,**  
[https://en.wikipedia.org/wiki/Chief\\_Election\\_Commissioner\\_and\\_Other\\_Election\\_Commissioners\\_\(Appointment,\\_Conditions\\_of\\_Service\\_and\\_Term\\_of\\_Office\)\\_Act,\\_2023](https://en.wikipedia.org/wiki/Chief_Election_Commissioner_and_Other_Election_Commissioners_(Appointment,_Conditions_of_Service_and_Term_of_Office)_Act,_2023)
8. **CEC 2023 appointment law: SC judges split on larger bench; matter goes to CJI Surya Kant,**  
<https://www.financialexpress.com/india-news/cec-2023-appointment-law-sc-judges-split-on-on-larger-bench-matter-goes-to-cji-surya-kant/4346301/>
9. **Why is the 2023 Election Commissioner appointment law controversial, and why did SC refer it to CJI?,**  
<https://indianexpress.com/article/explained/explained-law/cec-appointment-law-supreme-court-constitution-bench-explained-10891151/>
10. **The Chief Election Commissioner and Other Election Commissioners Act, 2023,**  
<https://www.insightsonindia.com/2026/09/24/the-chief-election-commissioner-and-other-election-commissioners-act-2023/>
11. **Gyanesh Kumar CEC controversy explained: What's the investigation report that has rocked ECI, what Congress, BJP and Election Commission are saying,**  
<https://m.economictimes.com/news/new-updates/gyanesh-kumar-cec-controversy-explained-whats-the-report-that-has-rocked-eci-what-congress-and-bjp-saying-and-election-commissions-clarification/articleshow/134433239.cms>
12. **Election Commission pushes back on dissent reports, says all SIR decisions were unanimous,**  
<https://m.economictimes.com/news/politics-and-nation/election-commission-pushes-back-on-dissent-reports-says-all-sir-decisions-were-unanimous/articleshow/134429865.cms>
13. **SC Pitches for Permanent Constitution Bench | SCC Times,**  
<https://www.scconline.com/blog/post/2026/09/25/sc-constitution-bench-ec-act-challenge/>
14. **The Constitution (129th Amendment) Bill, 2024 [Simultaneous,**  
<https://prsindia.org/billtrack/the-constitution-one-hundred-and-twenty-ninth-amendment-bill-2024>
15. **The Election Symbols (Reservation and Allotment) Order, 1968,**  
<https://testbook.com/question-answer/the-election-symbols-reservation-and-allotment-o--69a572e03cbcb44a0d586983>

**16. SIR explained: Why the voter roll revision has become so controversial,**  
<https://scroll.in/latest/1095934/sir-explained-what-has-happened-since-voter-list-revision-began>

**17. The many categories of SIR's logical discrepancy list keep voters on toes,**  
<https://www.thehindu.com/news/national/the-many-categories-of-sirs-logical-discrepancy-list-keep-voters-on-toes/article71504625.ece>

**18. Special Intensive Revision Of Electoral Rolls In India: Constitutional,**  
<https://www.ijllr.com/post/special-intensive-revision-of-electoral-rolls-in-india-constitutional-foundations-legal-controvers>

**19. Special Intensive Revision - Wikipedia,** [https://en.wikipedia.org/wiki/Special\\_Intensive\\_Revision](https://en.wikipedia.org/wiki/Special_Intensive_Revision)

**20. How 97 Eligible Voters Were Left Off Goa's Final Electoral Roll,**  
<https://www.youtube.com/watch?v=z6X6oU4Unns>

**21. 'Decision unanimous': EC counters report of internal differences over SIR,**  
<https://timesofindia.indiatimes.com/india/sir-decision-unanimous-ec-plays-down-report-of-internal-disagreement-over-roll-revision/articleshow/134426813.cms>

**22. Special Intensive Revision And Constitutional Electoral Integrity In,**  
<https://www.legal500.com/intelligence/india/government-public-sector/special-intensive-revision-and-constitutional-electoral-integrity-in-india>

**23. Elections 2024: SC reserves judgment on pleas seeking 100% EVM,**  
<https://www.adrindia.org/content/elections-2024-sc-reserves-judgment-pleas-seeking-100-evm-vvpat-verification>

**24. Association For Democratic Reforms vs Election Commission Of,**  
<https://indiankanoon.org/doc/176933971/>

**25. SC rejects pleas seeking 100% cross-verification of EVM votes with,**  
<https://www.thehindu.com/news/national/evm-vvpat-case-updates-supreme-court-to-pass-verdict-today-april-26-2024/article68108718.ece>

**26. VVPAT Verification | Judgement Summary - Supreme Court Observer,**  
<https://www.scobserver.in/reports/vvpat-vote-verification-judgement-summary/>

**27. Lok Sabha Elections 2024: SC Rejects Pleas For 100% VVPAT,**  
<https://www.boomlive.in/law/supreme-court-election-commission-lok-sabha-elections-2024-evm-vvpat-25051>

**28. From Swamy to ADR: Nine VVPAT related cases decided by the,**  
<https://www.scobserver.in/journal/from-swamy-to-adr-nine-cases-about-vvpat-before-the-supreme-court-of-india/>

**29. What did the Supreme Court say about VVPATs and EVMs?,**

<https://www.youtube.com/watch?v=lQm1l95CKOg>

**30. Supreme Court Judgment on EVM-VVPAT Verification - News Details,**  
[https://samsamayikghatnachakra.com/current\\_news/7972?language=all](https://samsamayikghatnachakra.com/current_news/7972?language=all)

**31. One Nation, One Election - PIB,**  
<https://www.pib.gov.in/PressReleaseIframePage.aspx?PRID=2085082>

**32. One Nation One Election -Dr. Sapna Chadah (2024),**  
[https://iipa.org.in/upload/Theme\\_Paper\\_2024.pdf](https://iipa.org.in/upload/Theme_Paper_2024.pdf)

**33. 'One Nation, One Election': a heinous conspiracy to destroy the,**  
<https://inc.in/congress-sandesh/comment/one-nation-one-election-a-heinous-conspiracy-to-destroy-the-constitution>

